न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 19/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/183

अनवान

1. अणछी पुत्री प्रताप पत्नि भुरा बलाई, निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. उगमी पुत्री प्रताप पत्नि रोशन बलाई, निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशन पुत्र कस्तुर बलाई, निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. छगनी पुत्री प्रताप पत्नि सुखा बलाई, निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. खेमा पुत्र देवा बलाई, निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नंगजीराम पुत्र कालु बलाई, निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अमरी पुत्री प्रताप बलाई पत्नि लेहरू बलाई, निवासी लाठियाखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. उदा पुत्र कालु बलाई, निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. केसर पुत्री कस्तुर पत्नि अनिल बलाई, निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मांगी पुत्री कालु पत्नि लालु बलाई, निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिए शाखा प्रबन्धक
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. विरूद्व न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 85/2021 वाद अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि.

उपस्थित

1. हरिश चन्द टेलर – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः– 9/2/26

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि :–

1. वादी/विपक्षी संख्या 01 नंगजीराम ने एक वाद ग्राम गल्यावड़ी पटवार मण्डल खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादग्रस्त आराजियात संख्या 1468 रकबा 0.25 हैक्ट आराजी संख्या 2399/1466 रकबा 0.40 हैक्ट, आराजी संख्या 2400/1469 रकबा 0.22 हैक्ट कुल किता 03 कुल रकबा 0.87 हेक्ट भूमि के संबंध में विभाजन का वाद पत्र न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 02 लगायत 07 के विरुद्ध प्रस्तुत किया। उसमें प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करके दिनांक 26.04.2022 को प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित कर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब फरमा दिनांक 28.09.2022 को एक पक्षीय अन्तिम डिक्री एवं निर्णय पारित कर दिया, जिससे व्यथीत होकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश कर रहे है।

2. न्यायालय हाजा के उक्त दोनों निर्णय एवं डिक्री विधि के विपरीत होने से व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। प्रार्थीयां अणछी व छगनी की तामिल उक्त पत्रावली में हुई ही नहीं हैं। न ही अणछी व छगनी को प्राप्त ही हुई हैं, तथा इसी प्रकार प्रार्थीया उगमी की तामिल किसी गायत्री सालवी ने लेना बताया है, और उसके हस्ताक्षर हैं, किन्तु गायत्री नाम की कोई लड़की या महिला उसके परिवार में नहीं हैं। प्रार्थी किशनलाल व खेमा की तामिल किसी सांवरमल के नाम के व्यक्ति ने ली हैं. जो इस नाम का व्यक्ति इसके परिवार में नहीं है, जिससे प्रार्थीगण की तामिल प्रोपर नहीं हुई हैं, फिर भी हमारे विरूद्ध एक तरफा आदेश पारित कर उक्त एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्रियां पारित की गई है, जो अपास्त होने योग्य हैं।

3. एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित करने के पश्चात् तहसीलदार साहब रायपुर व गिरदावर हल्का द्वारा बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया, उसमें प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई हैं, तथा प्रार्थीगण के पत्ते अलग–अलग स्थान के होते हुए भी गिरदावर हल्का द्वारा सभी के यह अंकित कर दिया गया है, कि हस्ताक्षर अगुंठा करने से मना किया। और उसी को एक पक्षीय डिक्री पारित करया वादी के हिस्से में रख लिया, जबकि अन्तिम निर्णय एवं डिक्री में वादी के रखे गये नम्बर 2399/1466/2 रकबा 0.0966 हेक्ट पर आज भी वादी का कब्जा नहीं होकर प्रार्थीगण का कब्जा है। जिससे कब्जा संबंधी विवाद चालु हो गया है।

4. प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया। जिसमें अंकन है कि प्रार्थीगण को उक्त दोनो निर्णय व डिक्रीयां दिनांक 26.04.2022 व 28.09.2022 की जानकारी पूर्व में नही थी। वादी नंगजीराम के हिस्से में बटा नम्बर कायम कर उस बटा नम्बर पर कब्जा करने आया तब प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि वादी ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवा ली है। इसलिए अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र उन्हे अपास्त करवाने हेतु प्रस्तुत कर रहे है। तथा दोनों निर्णय व डिक्री दिनांकित 26.04.2022 व 28.09.2022 की दिनांक से जानकारी होने की दिनांक 05.02.2024 तक गुजरे समय का जानाकरी के अभाव में मुजरा दिलाया जाना आवश्यक है। अतः उक्त अवधि का मृजरा दिलवाया जाकर प्रार्थना पत्र को अन्दर अवधि शुमार फरमाया जावें।

5. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्रीयां दिनांकित 26.04.2022 व 28.09.2022 को अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करवाया जावे।

6. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 09.07.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को समन जारी किये गये। समन की पालना मे विपक्षी संख्या 1, 2 के अधिवक्ता फारूख मोहम्मद मन्सूरी उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के विरूद्व दिनांक 08.11.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार सरकार है।

सहायक कलक्टर

7. प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण मूलवाद में प्रतिवादीगण थे जिसके आराजी संख्या 1468, 2399/1466, 2400/1469 में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए मूलवाद में दिनांक 26.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा प्राथमिक डिक्री के अनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पालना मे दिनांक 28.09.2022 को अन्तिम डिक्री जारी हुई। आदेश गुणावगुण पर आधारित नही था तथा प्रतिवादीगण को तामिल सम्यक् नही हुई थी। उगमी की तामिल गायत्री सालवी ने ली थी जबकि इस नाम का परिवार में कोई सदस्य नही है। किशनलाल व खेमा की तामील सांवरलाल ने ली थी जो परिवार का सदस्य नही है। प्रतिवादी जम्मु की मृत्यु मूलवाद के पेश करने से 7 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसके वारीस का नाम रेकार्ड में नही लिए गए एवं न ही मृतक का नाम डिलिट किया गया। मृतक के विरूद्व जारी अन्तिम डिक्री अवैध है। प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव में जम्मु के बारे में कोई जिक्र नही है। प्राथमिक डिक्री के समय का सूचना पत्र पेश नही किए है, पक्षकरो को सूचित नही किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर केवल नंगजीराम के हस्ताक्षर है व सूचना पर भी केवल मात्र नंगजीराम के हस्ताक्षर है। नोटिस में जम्मु को फोत बताया गया। आदेश 22 नियम 4 की कार्यवाही नही की गई ना ही वारीसानों को सूचित किया गया। मूलवाद की डिक्री को अपास्त करते हुए प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि के मूलवाद के वादी को अधिकार दे दिए गए तब प्रार्थीगण को जानकारी हुई है। दिनांक 07.04.2024 को कब्जे के प्रयास के दौरान जानकारी हुई जिसके बाद दिनांक 09.05.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। किसी भी पक्षकार को सम्यक् तामील नही हुई है अतः मूलवाद की दोनो डिक्री अपास्त फरमाई जाए। न्यायहित में प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाए। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए है :– आरआरटी 2022–23 (सप्ली.) पेज संख्या 225 श्यामसिंह बनाम भंवरसिंह व आरआरटी 2019(1) 137 पेज संख्या 137 राजकुमार बनाम पुष्करलाल।

8. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 09.05.2024 को सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना प. पेश किया गया। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में प्राथमिक डिक्री व अन्तिम डिक्री जारी होने की जानकारी न होना बताया गया जबकि इसकी जानकारी दिनांक 07.04.2024 को हो गई थी। मूल प्रकरण की आदेशिका में दिनांक 16.03.2022 को तामील होकर एकपक्षीय कार्यवाही हुई। सांवरमल और गायत्री प्रार्थीगण के परिवार के सदस्य है। मूल प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होने पर सूचना पत्र जारी किए गए। प्रतिवादीगण को दिनांक 18.07.2022 को जानकारी हो गई पर हस्ताक्षर करने से मना किया। प्रकरण में 2 माह बाद दिनांक 28.09.2022 को अन्तिम डिक्री जारी की गई। उसी दौरान प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 का आवेदन लाया जा सकता था। धारा 5 में दो वर्ष बाद जानकारी होने का अंकन गलत है। न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग किया जा रहा

है। प्रकरण में निर्णय के विरूद्व अपील की जा सकती थी। अन्तिम डिक्री का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में हो चुका है। सभी तथ्य की जानकारी होने के बाद न्यायालय प्रकिया का दुरूपयोग किया गया है। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 की लिमिटेशन 30 दिवस है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 को सव्यय निरस्त किया जाए।

9. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर पुनः प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 एकपक्षीय निर्णय को निरस्त करने के लिए है। आदेश 9 नियम 13 के आधारों में सम्यक तामील न होना व जरूरी कारण से हाजिर न हो पाना सम्मिलित है जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सकता है। प्रकरण में जिन्हाने तामील ली है वह बालिग है और परिवार के सदस्य है ऐसा कोई साक्ष्य विपक्षीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नही किया गया है। विपक्षीगण द्वारा कोई जवाब पेश नही किया जिसका अर्थ है कि प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नही होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार है। मूल प्रकरण में द्वितीय तारीख पेशी पर ही एकपक्षीय कार्यवाही हो गई। प्रार्थीगण को मूल प्रकरण मे कोई जानकारी नही होने से कार्यवाही नही कर पाए है। सूचना पत्र में एक ही प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है एवं कोई स्वतंत्र गवाह की तस्दीक सूचना पत्र में नही की गई है। मूल प्रकरण के सभी प्रतिवादी अलग–अलग जगह के है सबकी भाषा समान होना संभव नही है। प्रत्येक प्रतिवादी तक एक ही समय पर सूचना पत्र पहुंच पाना एकबार में संभव नही है। इससे सूचना पत्र केवल कागजी कार्यवाही है और वास्तव में प्रार्थीगण को सूचना नही दी गई थी। जब एकपक्षीय कार्यवही होने पर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने की कानूनी प्रकिया उपलब्ध है तो अपील करना नही करना इसका अधिकार प्रार्थीगण को है। प्रार्थीगण को मूलवाद की जानकारी पहले से होने का कोई साक्ष्य पेश नही किया है। प्रार्थना पत्र 9 नियम 13 स्वीकार होने से हिस्से में कोई बदलाव नही होगा कब्जा बदल सकता है। अतः प्रार्थना आदेश 9 नियम 13 स्वीकार फरमाया जाए।

10. न्यायालय ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से मनन किया तो पाया कि मूलवाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन का था जिसमें दिनांक 26.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी हुई। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव से अन्तिम डिक्री दिनांक 28.09.2022 को हुई। प्रतिवादी (प्रार्थीगण) को तामील भेजी गई जिसकी प्राप्ति रसीद पर प्रार्थीगण के स्वयं के हस्ताक्षर ना होकर अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है। मूल प्रकरण में इसे सम्यक् तामील मानते हुए दिनांक 16.03.2022 को प्रतिवादी (प्रार्थीगण) के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उक्त तामीलों पर जिन अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर है उन्हे प्रार्थीगण द्वारा अपने परिवार का सदस्य ना होना बताया गया है। विपक्षीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे साबित होता हो कि तामील पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य व्यक्ति प्रार्थीगण के परिवार सदस्य है। अतः मूल प्रकरण की उक्त तामीलो को सम्यक् तामील नही माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थन पत्र की कलम संख्या 6 में अंकन है कि मूल प्रकरण की प्रतिवादी पक्षकार जम्मु पत्नि प्रताप बलाई का स्वर्गवास 7 वर्ष पूर्व हो गया है। फिर भी उसके विरूद्व वादपत्र पेश किया गया एवं तामील सांवरमल नामक व्यक्ति द्वारा ली गई थी। उक्त प्रतिवादिया के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की

गई थी। इस सन्दर्भ में अपनी बहस में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादिया की मृत्यु के विषय पर कोई खंण्डन नही किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव के सूचना पत्र में प्रतिवादिया जम्मु को फोत बताया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि दौराने विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादिया के फोत होने की जानकारी वादीगण को हो चुकी थी। इसके पश्चात् भी प्रतिवादिया के विधिक वारीसानो को रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही नही की गई। मूलवाद का निस्तारण वादी के पक्ष में दिनांक 28.09.2022 को हुआ। मूलवाद में वादी नंगजीराम पुत्र कालु बलाई के नाम पर आराजी संख्या 2399/1466/2 रकबा 0.0966 है0 भूमि विभाजन किया गया था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण मूल प्रकरण के खातेदार काश्तकार है को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 एवं अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सीपीसी 1908 आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मूल प्रकरण अनवान नंगजी बनाम अणछी प्रकरण संख्या 85/2021 निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 28.09.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः रेकार्ड पर लिया जावे। तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जाकर मूलवाद के प्रकरण में जारी डिक्री को अपास्त किए जाने से पुनः वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी की स्थिति पूर्ववत बहाल करने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 9/2/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा